डॉ एन.सरवण कुमार, भा.प्र.से. जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 12.05.2013 को सम्पन्न लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम से संबंधित कार्यशाला की कार्यवाही

उपस्थितिः— यथा पंजी संधारित।

कार्यवाहीः—

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा बैठक प्रारंभ करते हुए कहा गया कि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम से संबंधित प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को आयोजित किए जाने वाला यह माह मई 2013 के दूसरे रविार को आयोजित चौथा कार्यशाला है।

सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का मुख्य उद्देश्य इसके अधीन आने वाली सेवाओं में आम जनता को वगैर कठिनाई के सेवा प्रदान करना है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामाना न करना पड़े। यदि कोई समस्या है तो उसे दूर करने के लिये ही प्रत्येक माह कार्यशाला का आयोजन किया जाता है।

जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को बताया कि प्रशासनिक सेवाओं में पदाधिकारियों/कर्मियों को विभिन्न प्रकार के कार्यो का सम्पादन करना पड़ता है। कार्यशाला का मुख्य उद्धेश्य होता है कि सेवा उपलब्ध कराने के कम में अगर किसी तरह की कठिनाई आती है तो उसके समाधान के लिए निर्भिक होकर पूछें और लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम की आयोजित बैठक में भी उत्साहित होकर इसका आनन्द लेना चाहिए।

जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों/सँचना प्रौधोगिक सहायक एवं कार्यपालक सहायक से जानना चाहा कि फरवरी 2013 से प्रारंभ इस कार्यशाला से क्या—क्या लाभ है तथा इस कार्यशाला में और कैसे प्रगति लाई जा सकती है। उपस्थित पदाधिकारियों ने बताया कि इस कार्यशाला से पदाधिकारियों में जिम्मेवारी और उत्तरदाईत्व का ज्ञान के साथ—साथ लोगों में इसके प्रति जागरुकता बढ़ी है। लोक सेवाओं के अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के अस्वीकृति में कमी आई है।एवं Expired Application की संख्या में भी कमी आई है। उपस्थित अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम का अपने—अपने प्रखण्डों में कैम्प लगाकर प्रचार प्रसार करें।

जिलाधिकारी ने बताया कि पिछले तीन मासिक बैठकों में इस अधिनियम के अन्तर्गत आपको सभी प्रकार का निर्देश मेरे द्वारा दिये गये हैं उनका कार्यवाहियों को पढ़कर उसका अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

बैठक में जानकारी दी गई कि सँचना प्रौधोगिकी सहायक एवं कार्यपालक सहायक का वेतन चेक द्वारा भुगातन करने पर विलम्ब हो रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने जिला स्थापना उप समाहर्ता को निर्देश दिया कि E.C.S के माध्यम से इनके वेतन का भुगतान किया जाय।

समीक्षा में पाया गया कि सभी अंचलों/प्रखण्डों में लोक सेवाओं के अन्तर्गत प्राप्त अपील आवेदनों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं हो पा रही है। इसके लिए जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आवेदकों को अगर समय सीमा पर सेवा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है तो उसे अपील दायर करने के लिए प्रोत्साहित करें।

नगर पंचायत/नगर परिषद एवं नगर निगम के कुछ कार्यालय में आर.टी.पी.एस के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। जिला स्थापना उप समाहर्ता को निदेश दिया गया कि सभी नगर निगम, नगर पंचायत एवं नगर परिषद के कार्यपालक

पदाधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक करें। सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया गया कि अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले अंचल/प्रखण्डों में सप्ताह में दो दिन इस कार्य का निरीक्षण करें तथा प्रतिवेदन भेजें।

फतुहाँ के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आर.टी. पी.एस. में इन्फ्रास्ट्रेक्चर के लिये राशि नहीं है। जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि वे इसके लिये जिला से राशि की माँग करें। जिला से इस मद में दी गई राशि से प्रखण्ड एवं अंचल के दोनों पदाधिकारियों को अवगत कराया जायेगा। जिलाधिकारी ने स्थापना उप समाहर्ता को निर्देश दिया कि अगली बैठक में सभी कार्यपालक पदाधिकारी को भी बैठक में बुलाया जाय। जिन अंचलों/प्रखण्डों एवं कार्यालयों में सिन्कोनाईजेशन की प्रतिशतं 75 से कम है उनसे स्पष्टीकरण की माँग की जाय।

कार्यशाला में पाया गया कि विभिन्न प्रखण्डो यथा अथमलगोला, बख्तियारपुर, बाढ़, वेलछी, बिहटा, विक्रम,दानापुर, दनियावाँ, धोसवरी, मनेर, मोकामा एवं नौबतपुर में पेंशन के मामलों में अस्वीकृत आवेदनों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसका कारण स्पष्ट करने पर उपस्थित पदाधिकारियों ने बताया कि आवेदकों द्वारा दिया गया भोटर आई.डी. कार्ड में नाम/ जन्म तिथि अथवा फोटो की पहचान उचित नहीं होने के कारण अस्वीकृत आवेदनों की संख्या बढ़ी है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने प्रखण्ड का बी.पी.एल.सँची एवं भोटर लिस्ट का डाटावेस बना लें जिससे सत्यापन करने में सुविधा हो ताकि आवेदनों का निपटारा शीघ्र किया जा सके। इस संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,पटना सदर द्वारा किये गये कार्यो की प्रशंसा की गई

इसी प्रकार अंचल कार्यालय यथा वेलछी ,बिहटा, विक्रम, दानापुर, खुशरुपुर ,मनेर एवं फुलवारी शरीफ में दाखिल खारीज के मामलों में अस्वीकृत आवेदनों की बड़ी संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि बिना किसी ठोस आपत्ती के आवेदनों को अस्वीकृत न किया जाय एवं वाँछित कागजातों को आवेदकों से माँग उनके आवेदन का निपटारा समय सीमा के अंदर करने का प्रयत्न किया जाय। इसी संदर्भ में सभीं भँमि सुधार उप समाहर्ता को संबंधित अंचलों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

धनरुआ के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बैठक में बिना पँर्वानुमति के अनुपस्थित रहने के लिये कारण पृच्छा की जाय एवं उनका वेतन स्थगित रखा जाय। यह भी निदेश दिया गया कि जिस अंचल/प्रखण्डमें सँचना प्रौधोगिकी सहायक एवं कार्यपालक सहायक द्वारा जिस दिन से कम्प्यँटर कार्यालय में लगाया गया है उसी दिन से उनके वेतन का भुगतान किया जायगा।

समीक्षा में पाया गया कि मसौढ़ी अंचल कार्यालय में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम से संबंधित काउन्टर विगत सात माह से बंद होने के कारण वहाँ मैनुअली कार्य किया जा रहा है, फलतः अंचलाधिकारी का वेतन स्थगित करने का आदेश जिलाधिकारी ने जिला स्थापना उप समाहर्ता को दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत काउन्टर के अलावे अलग से भी आवेदन प्राप्त करने की शिकायत कुछ स्थानों से प्राप्त हो रही है, यह कार्य कतई नहीं होनी चाहिए। लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्य काउन्टर के माध्यम से ही आवेदन प्राप्त किए जाए एवं सेवा भी काउन्टर के माध्यम से ही उपलब्ध कराए जाय। इस कार्य हेतु कार्यालय के रुम के बाहर सेड अवस्थित हो। संबंधित आवेदक कार्यालय में न जायें। दिये गये आवेदन का प्राप्ति रसीद आवेदक को तत्तकाल उपलब्ध करायें। इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले सभी सेवाओं का नाम कार्य निस्तार दिवस की सँचना नोटिस बोर्ड लगाए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें इसके अलावा निम्न बातों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.किसी को रिश्वत न दें।
2.समय सीमा के अन्तर्गत सेवा प्राप्त करें।
3.समय सीमा के अन्तर्गत सेवा नहीं मिल रहा है तो अपील में जाय।

बैठक में उपस्थित कुछ अंचलाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने जिलाधिकारी को बताया कि उनके पास सरकारी गाड़ी चलाने हेतु चालक तथा कार्यालय की सफाई हेतु कर्मी नहीं रहने के कारण कठिनाई हो रही है। जिलाधिकारी ने उन्हें निर्देश दिया कि संबंधित पदाधिकारी इस संबंध में जिला को पत्र लिखें ताकि इन कर्मियों को आउटर्सोसिंग के माध्यम से रखने हेतु विभाग को पत्र लिखा जाय। चालक के लिये होमगार्ड के कार्यालय से चालक उपलब्ध कराने हेतु समादेष्टा को पत्र लिखने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी हालत में दैनिक वेतन भोगी कर्मी को कार्यालय में नहीं रखने उन्हें कार्यालय द्वारा प्रशंसित पत्र निर्गत नहीं करने तथा कार्यालय द्वारा उनकी उपस्थित उपस्थिति पंजी में दर्ज नहीं कराने का निर्देश दिया गया।

अंत में सधन्यवाद कार्यशाला की कार्रवाई समाप्त की गई।

ह०/-
(डॉ.एन. सरवण कुमार)
जिलाधिकारी, पटना।

ज्ञापांक XIJ/02/13-1787 स्था. पटना, दिनांक 13/5/13 /

प्रतिलिपिः– वरीय पुलिस अधीक्षक,पटना / सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,पटना प्रमण्डल पटना / अपर समाहर्ता,पटना / अपर जिला दण्डाधिकारी (सामान्य) पटना / स्थापना उप समाहर्ता–सह–नोडल पदाधिकारी पटना को सँचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिला / सभी भँमि सुधार उप समाहर्ता, पटना जिला / जिला अवर निबंधक, पटना / वाणिज्यकर पदाधिकारी, पटना / जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना / जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना / नजारत उप समाहर्ता,पटना / सभी वरीय उप समाहर्ता, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग, पटना / सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद,पटना जिला को सँचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,पटना जिला / सभी अंचलाधिकारी,पटना जिला / जिला आई.टी.प्रबंधक,पटना / सभी सँचना प्रौधोगिकी सहायक,पटना जिला / सभी कार्यपालक सहायक,पटना जिला को सँचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा,पटना को सँचनार्थ प्रेषित।

(डॉ.एन. सरवण कुमार)
जिलाधिकारी, पटना।

D:\my doc\Sunil Proceding doc